पत्रांक–18 / लो0सं0–15–10 / 2023 सा0प्र0......14811......

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव,

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार।

पटना–15, दिनांक......16.8.2026......

विषय :– विद्यार्थियों की शिकायतों / समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु "विद्यार्थी सहयोग शिविर" आयोजित करने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–7622 दिनांक–30.04.2026, पत्रांक–8134 दिनांक–08.05.2026, पत्रांक–8719 दिनांक–16.05.2026, पत्रांक–9230 दिनांक–25.05.2026

महाशय,

आम नागरिकों की समस्याओं / शिकायतों को प्रभावी रूप से निदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

2. राज्य के मेहनती एवं प्रतिभाशाली छात्र समृद्ध बिहार एवं विकसित भारत के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक समस्याओं का समाधान लगातार विभिन्न माध्यमों से किया जाता रहा है और इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक कार्य किये गये हैं। अब एक और महत्वपर्ण पहल के रूप में विद्यार्थियों के शैक्षणिक समस्याओं को निर्धारित अवधि में निदान किये जाने का लक्ष्य है। साथ ही विद्यार्थियों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझावों को भी प्राप्त किया जाना है। क्योंकि विद्यार्थी ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम लाभार्थी हैं। उनका सुझाव इस हेतु अति–महत्वपूर्ण है।

3. सात निश्चय–3 के अधीन "सबका सम्मान, जीवन आसान" के लक्ष्य को दृश्टिपथ रखते हुए विद्यार्थियों के लिए भी प्रत्येक माह के चतुर्थ मंगलवार को **"विद्यार्थी सहयोग शिविर"** की आयोजन 25 अगस्त, 2026 से किया जाना है। यदि चतुर्थ मंगलवार को अवकाश घोषित है अथवा होता है तो यह शिविर अगले कार्य दिवस को आयोजित किया जायेगा।

4. इस शिविर का आयोजन सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों यथा–विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों, अभियंत्रण महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0, पारा मेडिकल महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावासों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावासों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावासों, कस्तूरबा गांधी

छात्रावासों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नेत्रहीन/मुकबधिर विद्यालय में किया जायेगा।

5. उपरोक्त हेतु दिनांक–17.08.2026 को विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है और विद्यार्थियों द्वारा सभी शिकायतें एवं सुझाव इसी पोर्टल के माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

6. संबंधित संस्थानों/छात्रावासों के वास्तविक (Bona fide) छात्र ही विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर निबंधन कर सकेंगे।

7. विद्यार्थी इस पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक समस्याएं होंगी। इस पोर्टल पर एव सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुधारों के संबंध में सुझाव भी दिया जा सकेगा।

8. शैक्षणिक समस्याओं के अधीन वैसी समस्याएं जैसे–समय पर कक्षाओं का संचालन नहीं होना, प्राध्यापकों/शिक्षकों का समय पर कक्षा में नहीं पहुंचना या अनुपस्थित रहना, समय पर परीक्षा का संचालन नहीं होना, परीक्षाफल का समय पर प्रकाशन नहीं होना, अनाधिकृत फीस/शुल्क की वसूली, कक्षाओं में बिजली, बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था आदि की समस्याएं, कॉलेज/स्कूल में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, साफ–सफाई की व्यवस्था, कोचिंग में समस्या एवं अन्य प्रकार की विधि व्यवस्था से संबंधित शिकायतें भी हो सकती हैं।

9. विद्यार्थी सहयोग पोर्टल/विद्यार्थी सहयोग शिविर में शैक्षणिक सुधारों के संबंध में प्राप्त सुझावों को प्रशासी विभाग द्वारा समेकित किया जायेगा और वैसे सुझाव जो उपलब्ध योजनाओं के अधीन लागू किये जा सकते है उन्हें विभागीय स्तर से निर्धारित अवधि में लागू किया जायेगा और शेष सुझावों पर उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

10. ''विद्यार्थी सहयोग शिविर'' का आयोजन संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा और इस हेतु संस्थान के शिविर के दिन एक कियोस्क (Kiosk) लगाया जायगे। जहां कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की व्यवस्था हो और इसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा एक स्थानीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस प्रकार का आयोजन संस्थान/छात्रावास में किसी बड़े हॉल में भी किया जा सकता है और इस हेतु बैनर/पोस्टर उक्त स्थल पर लगाया जायेगा ताकि सभी को आयोजन की जानकारी मिल सके।

11. विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से संबंधित सभी जिला – स्तरीय एवं प्रखंड – स्तरीय पदाधिकारी का प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिनांक–21.08.2026 को जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजित किया जायेगा। इस हेतु दिनांक–20.08.2026 को सभी जिले के संबंधित जिला–स्तरीय पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक को एन0आई0सी0 के द्वारा वी0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। संबंधित जिला–स्तरीय पदाधिकारी एवं आई0टी0 प्रबंधक अपने जिला हेतु मास्टर ट्रेनर का कार्य करेंगे।

12. प्रशासी विभाग द्वारा भी विभाग स्तर पर इस हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा और इस नोडल पदाधिकारी एवं विभाग के आई0टी0 प्रबंधक का प्रशिक्षण उक्त निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक–20.08.2026 को एन0आई0सी0 के द्वारा सूचना भवन, पटना में भौतिक रूप से दिया जायेगा।

13. विद्यार्थी सहयोग शिविर में जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा एक प्रशासनिक पदाधिकारी एवं एक पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी औरआवश्यकतानुसार संवेदनशील शिविरों पर पुलिस बल भी तैनात किया जायेगा।

14. प्रशासी विभाग के जिला–स्तरीय पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी द्वारा नामित जिला–स्तरीय पदाधिकारी संपूर्ण जिले में आयोजित होने वाले विद्यार्थी सहयोग शिविर का निरीक्षण एवं प्रबोधन सुनिश्चित करेंगे और शिविर के आयोजन के दिन संध्या में एक समेकित प्रतिवेदन प्रशासी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. शिविर के दिन जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शिविरों का भ्रमण किया जायेगा।

16. विद्यार्थी सहयोग शिविर में भी प्राप्त सभी शिकायतों का अंतिम निस्तार सहयोग शिविर के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप से 30 दिनों में किया जायेगा और ''विद्यार्थी सहयोग शिविर'' में भी प्राप्त शिकायतों का निराकरण सहयोग शिविर हेतु निर्गत संदर्भित पत्रों में अंकित प्रक्रिया एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया जायेगा। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर इस हेतु L–1, L–2 एवं L–3 प्राधिकार को प्राधिकृत किया गया है।

17. सहयोग शिविर के आयोजन हेतु समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

18. विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर भी निस्तारित किये गये शिकायतों से क्षुब्ध/असंतुष्ट हाने पर संबंधित शिकायत की सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के स्तर पर प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को निर्धारित राज्य–स्तरीय सहयोग शिविर कार्यक्रम में की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 16/8/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–18/लो0सं0–15–10/2023 सा0प्र0–14811/दिनांक–16.8.2026

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव/पुलिस महानिदशेक/सभी पुलिस महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/8/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–18/लो0सं0–15–10/2023 सा0प्र0–14811/दिनांक–16.8.2026

प्रतिलिपिः–मा0 मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/8/26

सरकार के सचिव।